प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 30 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 22 – 29 जुलाई 2019 मूल्य पांच रूपए

डॉ.रचना गुप्ता बनाम देवाशीष भट्टाचार्य मानहानि मामले में 22 अगस्त को होगी सुनवाई

शिमला/शैल। लोकसेवा आयोग की सदस्य डा. रचना गुप्ता ने एक नोयडा निवासी देवाशीष भट्टाचार्य के खिलाफ एक करोड़ की मानहानि का मामला दायर किया है। अभी 14 जून को प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर हुए मामले में 22 अगस्त को पेशी लगी है। इस हाई प्रोफाईल मामले ने सबका ध्यान आकर्षित किया हुआ है। स्मरणीय है कि यह मामला दायर करने से पहले डा. रचना गुप्ता ने देवाशीष को 12 – 12 – 2018 को एक लीगल नोटिस भेजा था। इस नोटिस में देवाशीष द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट की गयी छ: पोस्टों का जिक्र उठाते हुए इनसे मानहानि होने का आरोप लगाते हुए एक करोड़ के हर्जाने की मांग की गयी थी। यह पोस्टें किन – किन तारीखों को पोस्ट की गयी इसका कोई जिक्र नोटिस में नही था।

यह नोटिस मिलने के बाद देवाशीष ने रचना गुप्ता के वकील को 16 – 1 – 2019 को एक पत्र भेजकर उनसे यह जानकारी मांगी की संद्धर्भित पोस्टें किन तारीखों की हैं ताकि वह नोटिस का समुचित जवाब दे सके। वकील के इस पत्र से पहले देवाशीष ने स्वयं एक ऐसा ही पत्र रचना गुप्ता के वकील को भेजा था। लेकिन इन पत्रों का कोई जवाब नही आया। इसमें उल्लेखनीय यह है कि देवाशीष की इन सारी कथित पोस्टों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह से यह पोस्टें अपने में एक सीधा ब्यान न होकर एक सवाल बन जाती हैं। इस प्रश्नवाचक चिन्ह से यह देखना रोचक होगा कि क्या यह पोस्टें ब्यान के दायरे में आकर मानहानि का कारक हो सकती हैं या नहीं। लीगल नोटिस 12 – 12 – 2018 को भेजने के बाद अब जून में मानहानि का दावा दायर किया गया है। दावे के साथ दायर हुए शपथ पत्र के अनुसार यह याचिका संलग्नों सहित 35 पन्नों की है लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा देवाशीष को भेजे गये नोटिस के साथ याचिका के केवल 12 ही पन्ने उन्हें मिले हैं। यह 12 पन्ने मिलने पर देवाशीष ने उच्च न्यायालय के रजिस्टार ज्यूडिशियल को 26 – 7 – 2019 को एक पत्र लिखकर याचिका के अन्य पन्ने उन्हें उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि वह सारे दस्तावेजों का अवलोकन करके इसका समुचित जवाब तैयार कर सके।

प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में यह मानहानि मामला विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि प्रदेश में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य को इस तरह का मामला दायर करने की नौबत आयी हो। वैसे तो लोकसेवा आयोग के एक अन्य सदस्य की नियुक्ति को भी प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती मिली हुई है और यह मामला अभी तक लंबित चल रहा है। इसमें यह रोचक हो गया है कि जब पंजाब लोक सेवा आयोग का एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था तब शीर्ष अदालत ने लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर एक सुनिश्चित मानदण्ड निर्धारित करने और अपनाने के निर्देश केन्द्र सरकार से लेकर सभी राज्य सरकारों को कर रखे हैं। लेकिन शीर्ष अदालत के इन निर्देशों की अनुपालना आज तक नही हो पायी है और संयोगवश प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्तियां इन निर्देशों के बाद ही हुई है। ऐसे में यह मामला भी रोचक हो गया है और सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं।

SPEED POST

To,

The Registrar(Judicial),
Himachal Pradesh High Court,
Shimla, H.P.-171002

Date: 26.07.2019

SUBJECT: - **IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, COMS No. 20 of 2019, Dr. Rachna Gupta..... Plaintiff, Versus, Sh. Dev Ashish Bhattacharya..... Defendant.**

Dear Sir,

I am writing to you on behalf of Sh. Dev Ashish Bhatacharya [Defendant] who is in receipt of your Notice dated 16th July, 2019 in the captioned case. The said Notice was received by Sh. Dev Ashish Bhattacharya on 22.07.2019.

This is to bring to your kind information that the captioned suit enclosed along with your Notice contains only the plaint and the documents filed along with the plaint are missing. The documents mentioned at Serial Numbers 5 to 10 of the Index are missing.

Therefore, you are humbly requested to make available the complete suit as soon as possible as the next date of hearing in the case is fixed by your office on 22.08.2019.

Thanking you in anticipation.

Yours truly,

Dr. Dinesh Rattan Bhardwaj
Supreme Court AOR No. 1766

[Dev Ashish Bhattacharya]
Defendant

CC:
Sh. Sureinder Saklani, Advocate
Chamber No. 249, Vidhi Nikunj
High Court of Himachal Pradesh
Shimla, H.P. 171001

Dr. Dinesh Rattan Bhardwaj
B.Sc.(Chem.) LL.M., Ph.D.(Law), Solicitor (Mumbai), Solicitor (England)
Solicitor & Advocate-on-Record, Supreme Court of India
Solicitor, Supreme Court of England & Wales (N.P.)

SPEED POST

To
Sh. Surinder Saklani, Advocate
Chamber No. 249
Vidhi Nikunj
High Court of Himachal Pradesh
Shimla, H.P. -171001

Date: 16.01.2019

Sir,

This has reference to your legal Notice dated 12/12/2018 sent on behalf of your client Smt. Rachna Gupra, posted by you on 21.12.218 at Shimla High Court Post Office and received on 25.12.2018 by my Client Sh. Dev Ashish Bhattacharya r/o B-5, Pocket-7, Block-54, Kendriya Vihar-II, Sector-82, NOIDA, U.P.- 201304.

My Client vide his letter dated 27.12.2018 addressed to you had requested you to provide information w.r.t. the dates on which the alleged posts were posted by my Client on the social media. A copy of my Client's said letter dated 27.12.2018 is enclosed hereto for your ready reference (Which was delivered to you on 31.12.2018.)

You are now once again requested to provide the asked for information, after seeking the same from your client Smt. Rachna Gupta, with respect to the alleged posts which were posted by my Client on the social media (kindly refer to para 3 of your Legal Notice) for verification by my Client and to respond accordingly to your said Legal Notice.

The Legal Notice will be appropriately responded to within 30 days of receipt of the above sought information.

Thanking you in anticipation.

Yours truly,

Dr. Dinesh Rattan Bhardwaj
Advocate & Solicitor

Encl: As above

छोटे विद्युत उत्पादकों की पूरी बिजली नहीं खरीद रहा है बोर्ड

26 उत्पादकों ने बैठक में रखी यह समस्या

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने पिछले महीनों में करीब 228 उद्योगों के साथ 27515 करोड़ के एमओयू साईन किये हैं। इन उद्योगों और इस निवेश की प्रगति मानीटर करने के लिये हिम प्रगति पोर्टल भी तैयार किया गया है। इस संद्धर्भ में अभी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हिम प्रगति पोर्टल की समीक्षा की गयी है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व और टीसीपी विभागों को निर्देश दिये हैं कि वह निवेशकों को पेश आ रही समस्याओं का तुरन्त और प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करना सुनिश्चित करे। जिन 228 उद्योगों के साथ एमओयू साईन हुए हैं उनमें से अधिकांश उद्योग पुराने ही है जो पहले ही कुछ निवेश कर चुके हैं लेकिन इन्हें सरकार से वांच्छित सारी अनुमतियां अभी तक नहीं मिल पायी हैं। लेकिन सरकारी तन्त्र ने अपनी पीठ थपथपाने के लिये इन्हीं उद्योगों के साथ नये सिरे से एमओयू साईन कर लिये हैं। अब तन्त्र को इन उद्योगों की समस्याएं सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गयी है क्योंकि यदि इन्हीं की समस्याएं तुरन्त हल न हो पायी तो नये निवेशकों का आना असंभव हो जायेगा।

इस कड़ी में सबसे बड़ी समस्या प्रदेश की जलविद्युत परियोजनाओं में आ रही है। प्रदेश में पांच मैगावाट तक परियोजनाएं हिम ऊर्जा के माध्यम से लगायी जाती है। जलविद्युत परियोजना लगाने से पहले प्रस्तावित परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली कौन खरीदेगा यह उत्पादक को यह सरकार को सूचित करना होता है। प्रदेश में यह खरीद बिजली बोर्ड करता है। इस तरह उत्पादक को यह चिन्ता नहीं होती है कि बिजली

बेचेगा किसको। लेकिन इस समय इन विद्युत उत्पादकों को यह बिजली बेचना एक परेशानी हो गयी है। अभी हिम प्रगति पोर्टल की समीक्षा के दौरान एक बैठक इन विद्युत उत्पादकों से भी हुई है। इस बैठक में 25 मैगावाट तक के 26 उत्पादकों ने अपनी समस्या यह रखी की बोर्ड उनकी सारी उत्पादित बिजली को खरीद नही रहा है। यदि पांच मैगावाट का उत्पादन हो रहा है तो उसमें से दो या तीन मैगावाट ही खरीदी जा रही है और बाकी बिना बिके रह रही है। लेकिन कम खरीद का आदेश बिना लिखे जबानी दिया जा रहा है। यह समस्या छोटे और मझोले उत्पादकों को पेश आ रही है। बड़े उत्पादकों को यह समस्या नही है। इससे छोटे निवेशकों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। उत्पादकों द्वारा रखी गयी इस समस्या पर जब मुख्यसचिव ने बोर्ड से इस बारे में जवाब मांगा तो कोई उत्तर नहीं था। समस्या को सब ने स्वीकार किया और इसका हल क्या हो सकता है यह उत्पादकों से ही पूछ लिया। अन्त में इस समस्या को हल खोजने के लिये एक और बैठक करने का फैसला लिया गया। जानकारों के मुताबिक जिन दरों पर उत्पादकों के साथ पीपीए साईन किये हुए हैं आज उसी रेट पर बोर्ड की बिजली बिक नहीं रही है। बोर्ड की वार्षिक रिपोर्टो के मुताबिक हर वर्ष बहुत सारी बिजली बिकने से रह रही है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड उत्पादकों से 4.50 रूपये यूनिट खरीद कर आगे 2.40 रूपये यूनिट बेच रहा है। यही नहीं बोर्ड की अपनी परियोजनाओं में हर वर्ष हजारों घन्टों का शट डाऊन दिखाकर बिजली का उत्पादन बन्द रखवा जा रहा है। यदि बोर्ड की अपनी परियोजनाओं में पूरा उत्पादन होता रहे तब तो बिजली बेचने की समस्या और भी विकट हो जायेगी। लेकिन बोर्ड के अन्दर की इस स्थिति की ऊर्जा मन्त्री और मुख्यमंत्री को कोई जानकारी दी ही नही जाती है। अपने तौर पर यह लोग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्टो और कैग रिपोर्टो का अध्ययन ही नही कर पाते हैं जबकि यह रिपोर्ट वाकायदा विधानसभा सदन में रखी जाती है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान न किया गया तो इसका प्रभाव सारे प्रस्तावित निवेश पर पड़ेगा यह तय है।

इलैक्ट्रिक वाहनों में जीएसटी की दरें घटाने का पर्यावरण की दृष्टि से सवेंदनशील हिमाचल पर पडेगा व्यापक प्रभाव

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 1 अगस्त, 2019 से इलैक्टिक वाहनों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) की दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के जीएसटी परिषद के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन वाहनों में प्रयोग होने वाले चाजर्स पर भी जीएसटी को 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इलैक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने में दी गई छूट भी सराहनीय कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी करने से इलैक्ट्रिक वाहन उद्योगों को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि काफी समय से इन दरों को कम करने की मांग चल रही थी। उन्होंने कहा कि यह कदम लोगों को इलैक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। इस निर्णय से इलैक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आएगी तथा देश में इन वाहनों का उपयोग भी बढ़ेगा। इलैक्ट्रिक वाहनों के व्यापक उपयोग से ईंधन के आयात पर भी निर्भरता कम होगी तथा पर्यावरण संरक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से सवेंदनशील हिमाचल प्रदेश में इस निर्णय का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने पहले ही मनाली जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में ऐसे वाहन चलाए हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) संजय कुंडु, राज्य आबकारी एवं कराधान आयुक्त डॉ. अजय शर्मा व संयुक्त आयुक्त राकेश शर्मा ने राज्य की तरफ से भाग लिया।

ब्रिगेडियर खुशाल सिंह हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम के प्रबन्ध निदेशक नियुक्त

शिमला/शैल। जिला मण्डी की तहसील औट के नगवाईं के ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया।

इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिला की तहसील नादौन के गांव भदरोल तहसील नादौन के ब्रिगेडियर एल.सी. जसवाल, जिला कांगड़ा की तहसील पालमपुर के गांव धौरां के सूबेदार सुख देव सिंह मसरद तथा जिला मण्डी की तहसील सुन्दरनगर के गांव बडोह के कर्नल दुनी सिंह जमवाल को भूतपूर्व सैनिक निगम के निदेशक मण्डल के निदेशक नामित किए गए हैं।

सचिव (सैनिक कल्याण), सचिव (वित्त) सचिव (कृषि), निदेशक उद्योग व राज्य सरकार के वरिष्ठ विधि अधिकारी अथवा उनके मनोनित व्यक्ति निगम के पदेन सदस्य होंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ में मंडी को राष्ट्रीय पुरस्कार

शिमला/शैल। मंडी जिला को 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के लिए एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। जिला को यह पुरस्कार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के तहत जागरूकता से संबंधित अभियान एवं गतिविधियों के शानदार क्रियान्वयन के लिए दिया जा रहा है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 7 अगस्त को दिल्ली में विज्ञान भवन में रखे कार्यक्रम में जिला मंडी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान करेंगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 7 अक्तूबर, 2018 को मंडी जिला में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया था। यह अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है कि एक साल से भी कम के अरसे में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए जिला को दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा है। इससे पहले मंडी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रभावी सामुदायिक सहभागिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसी साल 24 जनवरी को जिलाधीश ऋग्वेद ठाकुर ने तत्कालीन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से दिल्ली में यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था।

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने जिलावासियों को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी है। कहा जिला में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करने के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत स्त्री अभियान के माध्यम से महिला मंडलों का सहयोग लेकर गांव-गांव में काम किया है।

वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा ने बताया जिले में शिशु लिंगानुपात में सुधार और 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिए सभी को सक्रिय भागीदारी एवं समन्वित प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आशुतोष गर्ग ने बताया जिला में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान में एक नया आयाम जोड़ते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण से जोड़ कर बालिका गौरव उद्यान योजना शुरू की गई है। जिले की हर पंचायत में बेटियों के नाम पर उद्यान स्थापित करने की इस मुहिम में सामुदायिक भागीदारी बनाई गई है।

प्रशासन ने मेलों-त्यौहारों में मानव श्रृंखला बनाकर, सामूहिक कन्या पूजन जैसे कार्यक्रम आयोजित कर जन-जन तक संदेश पहुंचाने एवं जागरूकता लाने के कारगर प्रयास किए हैं। इस बार अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के दौरान पहली बार सेरी मंच पर 108 कन्याओं का सामूहिक पूजन का कार्यक्रम कर पुरातन संस्कृति को बेटियों की सुरक्षा से जोड़ने की कवायद की गई। प्रशासन की इस पहल ने बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन और तारीफ बटोरी। दशहरा उत्सव के मौके पर कन्या भ्रूण हत्या को रावण का प्रतीक मानकर इसका दहन करके बेटा-बेटी में भेद की दरिद्र सोच को समाप्त करने का प्रभावी संदेश जन-जन तक पहुंचा।

इसके अलावा महिला मंडलों, स्कूल प्रबंधन समितियों, सर्व देव समाज संघ और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों की भागीदारी से गांव-गांव जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है।

सरकारी कार्यक्रमों में नवजात बच्चियों के अभिभावकों को बधाई पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित व प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा ने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश के 610 जिलों में चलाया गया है। इनमें से मंडी जिले को जागरूकता सृजन एवं आउटरीच गतिविधियों के शानदार काम के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है।

कर्मचारियों की मांग पर लिया प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बन्द करने का फैसला:विनोद

शिमला/शैल। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पर कोर्ट अधिवक्ताओं के सन्ताप को समझ से परे करार देते हुए हि.प्र. अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने इसे किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं बताया है। प्रदेश महासंघ के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में कर्मचारियों की सेवाओं के मामलें जाते रहे हैं न कि अधिवक्ताओं की सेवाओं से सम्बन्धित। तो इसलिए अधिवक्ताओं का यह विरोध कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कुछ लोगों की अच्छी कमाई का यह सस्ता जरिया था अन्यथा इस बात को कर्मचारियों पर छोड़ा जाना चाहिए कि वह अपने मामलों की लड़ाई ट्रिब्यूनल जैसी संस्था में रखना चाहते हैं या फिर उच्च न्यायालय में। प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि 'लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया' ने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ वर्ष पहले यह उल्लेख किया है कि ''ट्रिब्यूनल किसी कोर्ट का विकल्प नहीं है, यह मात्र एक ऐसी अनुपूरक व्यवस्था है जो केवल नियमों की व्याख्या करती है ।

वर्ष 1986 में ट्रिब्यूनल के गठन के समय ही प्रदेश के कर्मचारी संघों ने इसका विरोध किया था और उसके बाद कभी भी ट्रिब्यूनल ने प्रताड़ित कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों को न्याय नहीं दिया। यह एक ऐसी संस्था बन गई कि सरकार द्वारा प्रताड़ित कर्मचारियों पर सरकार के आदेशों पर ही ट्रिब्यूनल से मोहर लगवाई जाती रही है यानि उल्टे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने कर्मचारियों को न्याय देने के बजाए सरकारी फैसलों पर ही अपनी मोहर लगाई है। प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और उनकी कैबिनेट का यह फैसला कर्मचारियों की मांग पर, कर्मचारियों के हित में लिया गया फैसला है जिसे 21.07.2019 को महासंघ की आम सभा में बिलासपुर के किसान भवन में कर्मचारियों की संसद ने इस पर अपनी मोहर लगाकर सरकार के इस फैसलें का पूर्ण समर्थन किया है, जिसको लेकर महासंघ मुख्यमन्त्री से मिलकर उनको सम्मानित करेगा।

वाईस ऑफ हिल्स एवं क्वीन ऑफ हिल्ज प्रतियोगिता के लिये आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। जिला लाहौल स्पिति के जिला मुख्यालय केलंग में 14 अगस्त से 16 अगस्त तक तीन दिवसीय जनजातीय उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान वाईस ऑफ हिल्स एवं क्वीन ऑफ हिल्ज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। यह जानकारी जनजातीय उत्सव कलचर कमेटी की अध्यक्ष एवं प्रोजेक्ट अधिकारी स्मृतिका नेगी ने प्रैस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 25000/-रूपये, द्वित्तीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 15000/-रूपये तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 10000/- रूपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। क्वीन ऑफ हिल्ज प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका मिसेज एशिया इन्टरनैशनल फोटोजेनिक कल्पना ठाकुर अदा करेंगी। उन्होनें बताया कि इच्छुक प्रतिभागी अपने आवेदन सादे पेपर पर जिसमें नाम, पता, आधार न., बैक आकऊंट न. आई.एफ. एस.सी.कोड व मोवाईल न. सहित चैयरमेन कल्चरल कमेटी जनजातीय उत्सव एवं प्रोजेक्ट आफिसर आई.टी.डी.पी. केलंग के कार्यालय में दिनांक 13 अगस्त, 2019 को दोपहर 1 बजे तक भेजें। उन्होनें यह भी बताया कि किसी प्रकार की कठिनाई आने पर मोबाईल न. 86289-00740 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Himachal Pradesh
Public Works Department
Notice inviting tender

Sealed item rates tender on form 6 & 8 are hereby re- invited by the **Executive Engineer HP,PWD, Karsog on behalf of Governor of Himachal Pradesh** from the approved/eligible contractors enlisted in HP,PWD for the following works so as to reach in this office on or before **19-08-2019 upto 11.00 AM** and shall be opened on the same day at **12.00 AM** in presence of the contractor or their authorized representatives who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment (Non refundable) **upto 4.00 PM on 17-08-2019** for which the application should reach in this office upto **1.00 PM 17-08-2019.**

The earnest money in shape of National saving certificate/time deposit account/ saving account in any Nationalized Bank in H.P duly pledged in favour of the **Executive Engineer Karsog Division, HP,PWD,** Karsog will be received alongwith application for obtaining tenders form. The conditional tenders will summarily be rejected. The offer of the tenders shall be kept open for **51 days** from the date of opening of tender. The **Executive Engineer, HP,PWD, Karsog** reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason. The contractors should append their enlistment/renewed certificates/sale Tax registration Numbers with the application for issue of tender form. If any of the date mentioned above happens to be holiday the same shall be processed on next working day.

S.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest money	Time allowed	Cost of Form
1.	Periodical Maintenance of Karsog Kao road VR-0039 (SH;- Providing and Laying 25 mm bituminous concrete & BUSG in Km. 3/00 to 3/500)	406392/-	8200/-	One month	350/-
2.	Periodical Maintenance of Karsog Kao road VR-0039 (SH;- Providing and Laying 25 mm bituminous concrete & BUSG in Km. 3/500 to 4/00)	406392/-	8200/-	One month	350/-
3.	Construction of Type -II Qtrs for Medical staff at karsog Distt. Mandi HP (SH;- Construction of roofing)	340700	6850/-	Two month	350/-
4.	Construction of Additional Accommodation Govt. High School at Sajah (SH; C/o Two room with verandha)-	499958/-	10000/-	One Year	350/-
5.	C/o Alsindi Tattapani road via Jassal Dhundan Km. 0/0 to 5/0 (SH;- C/o 900 mm dia RCC Hume pipe culvert at RD.0/112)	129987/-	2600/-	Two month	350/-
6.	Metalling and Tarring on Chhanayana to Jassal road Km. 0/0 to 2/250 (SH;- P/L Kharanja stone soling in km. 0/0 to1/950)	498653/-	10000/-	Three month	350/-
7.	Periodical Maintenance of Karsog Kao road VR-0039 (SH;- Providing Laying25 mm bituminous concrete ,C/o V-shape drain, G-I & G-II in Km. 6/0 to 6/500)	423966/-	8500/-	One month	350/-
8.	Periodical Maintenance of Karsog Kao road VR-0039 (SH;- Providing Laying25 mm bituminous concrete , C/o V-shape drain, G-I & G-II in Km. 6/500 to 7/0)	423966/-	8500/-	One month	350/-

TERMS & CONDITIONS:-
No tender form will be issued to those contractosr who are not registered under HPGST Act.
No tender form will be issued to those contractosr who are not registered under EPF Act
3. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
4. The earnest money for the above work should be attached with the application.
5. The intending contractors/firms shall have to produce the copy of latest enlistment and renewal enlisted in HP,PWD.
6. The work done performance certificate issued by the concerned Executive Engineer required to be produced by the contractor along with application.and the tender form will be issued only those contractors who have similar work done.

Adv. No.1151/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1. The Executive Engineer HP.PWD Rohru Distt. Shimla H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rates, in electronic tendering system, in 2 cover system for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/firms registered with HP.PWD Department.

S.No.	Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	Starting Date for downloading BID	E/Money	Deadline for Submission of BID
1.	C/O Jarsa to Banktote road km 0/0 to 1/250(SH:- F/C 5/7 mtr wide road at RD 0/510 to 0/810)	Rs.9,82,619/-	03-08.2019 1030 HRS	Rs.20,000/-	16-08.2019 1800 HRS
2.	-do- (SH:- -do- at RD 0/810 to 1/165)	Rs.9,88,566/-	03-08.2019 1030 HRS	Rs.20,000/-	16-08.2019 1800 HRS
3.	C/O Jagothi Nallah Chilali road km 0/0 to 1/300(SH:- F/C 5/7 mtr wide road at RD 0/825 to 1/210	Rs.8,69,592/-	03-08.2019 1030 HRS	Rs.17,400/-	16-08.2019 1800 HRS
4.	C/O Dhara Nawra kirna Mehandli road km 0/0 to 5/0(SH:-F/C 5/7mtr wide road at RD 1/465 to 1/900)	Rs.9,19,299/-	03-08.2019 1030 HRS	Rs.18,400/-	16-08.2019 1800 HRS
5.	C/O link road from Sidhroti Kainchi to Kharmla tandi road km 0/0 to 2/0 (SH:- widening of road 5/7 mtr protion 0/060 to 0/135 & 0/180 to 0/700)	Rs.10,12,409/-	03-08.2019 1030 HRS	Rs.20,300/-	16-08.2019 1800 HRS

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website **www.hptenders.gov.in.** And any corrigendum uploaded in website.

Adv. No.1127/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा पर दिया जा रहा बल:सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। वे धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा

आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन को गुणात्मक शिक्षा के लिए जरूरी बताया गया। उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि स्कूल-कॉलेजों में रोजगारन्मुखी और तकनीक आधारित शिक्षा देने पर भी बल दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में शिक्षा को रोजगार से जोड़ना अनिवार्य है और शिक्षा को रोजगारपरक बनाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को प्रारम्भिक स्तर से ही गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं तथा इस दिशा में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता तथा उसके रोजगारपरक बनाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाया जा सके। उन्होंने शिक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार की वचनबद्धता को दोहराया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति को लेकर सुझाव आया है कि भारत की हिमालयन राज्यों के लिए अलग से नीति बने। इसके लिए जल्द ही एक सेमिनार आयोजित करने की योजना है जिसमें उतराखंड, जम्मू व हिमाचल प्रदेश आदि हिमालयन राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव तथा शिक्षाविदों से चर्चा की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी एव निजी विद्यालयों के परिसरों के आस-पास उपलब्ध भूमि पर पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों को शामिल करने की योजना बनाई गई है। विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत स्कूलों के सभी विद्यार्थी पांच-पांच पौधे लगाएंगे और विद्यार्थी ही इन पौधों की देखभाल करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को पौधरोपण में भागीदार बनाना और प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाना है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को वनों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3391 स्कूलों में नर्सरी व केजी की कक्षाएं शुरू की गई हैं तथा 350 स्कूलों में इस बार शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जगह की उपलब्धता होगी तो प्री-प्राइमरी व आंगनबाड़ी कक्षाएं एक साथ भी चलाई जा सकती हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार किया जा रहा है। सरकार स्कूलों में शिक्षा पाठयक्रम में नैतिक शिक्षा को सम्मिलित करने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि युवा पीढ़ी संस्कारवान बने। उन्हें बड़े-बजुर्गों के प्रति आदर का भाव हो ओर उनके प्रति अपने कर्तव्य का भान रहे। यह सब अच्छी शिक्षा से ही संभव है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड पूरे देश में अपना विशेष स्थान रखता है तथा इसकी रैंकिग को बनाये रखने के लिए तथा इस स्तर को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल की बीमारी को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से समस्त परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गये हैं एवं उनके संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश शिक्षा बोर्ड पूरे देश में पहला बोर्ड है जहां शत-प्रतिशत परीक्षा केन्द्रों में नकल रोकने के लिए सीसीटी कैमरे लगाए गये हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने नकल की प्रवृति को रोकने के लिए बोर्ड द्वारा 4 करोड़ रूपये का डिजिटल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बॉक्सर आशीष को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिले के सुन्दरनगर क्षेत्र से संबंधित बॉक्सर आशीष चौधरी को बधाई दी है जिन्होंने बैंकाक में थाईलैंड अन्तरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 75 किलोग्राम वर्ग में कोरिया के बॉक्सर को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

उन्होंने कहा कि आशीष चौधरी ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश और प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आशीष चौधरी ने बॉक्सर बी. एस.थापा के बाद नई ऊंचाईयों को छुआ है जिन्होंने 1980 में मॉस्को ओलम्पिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

मुख्यमंत्री ने बॉक्सर आशीष चौधरी के परिवार को भी उनकी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं।

खेल मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने भी इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आशीष चौधरी और हिमाचल बॉक्सिंग संघ को बधाई दी है।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने पर होगी कडी कारवाई

शिमला/शैल। पुलिस अधीक्षक, साईबर क्राईम शिमला हि. प्र. ने प्रैस नोट जारी कर बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अश्लील वीडियो व तस्वीरों अपलोड करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किये जायेंगे।

पुलिस अधीक्षक, साईबर क्राईम शिमला ने बताया कि वर्तमान समय में सामने आया है कि कुछ लोग जानबुझकर व अनजाने में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अश्लील वीडियो व तस्वीरों को उनके दुष्परिणामों को जाने बिना बढ़ा-चढ़ा कर शेयर कर रहे हैं। उनका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292, 293 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67,67B के तहत दण्डनीय अपराध है। जन-साधारण को सचेत किया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुध उपरोक्त धाराओं के तहत आपराधिक मामला पंजीकृत किया जा सकता है।

इसी प्रकार प्राय: यह देखने में आता है कि अकसर कुछ लोग सड़क दुर्घटनाओं के दौरान पीड़ित व्यक्तियों के विचलित करने वाले वीडियो व तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं जो कि उनकी सवेदनहीनता व गैर- जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। जबकि दुर्घटना स्थल पर पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा व सहायता उपलब्ध करवाना हम सबका प्रथम कर्तव्य बनता है।

प्रदेश सरकार हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ निवेश राज्य बनाने के लिए प्रयासरत:बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को निवेश की दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में प्रयासरत है। बिक्रम सिंह सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक संघ के साथ आयोजित परस्पर संवाद को संबोधित कर रहे थे।

बिक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में यह प्रयास किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को देश एवं विदेश के निवेशकों के लिए बेहतरीन निवेशक स्थल बनाया जाए। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने यूरोपीय एवं खाड़ी देशों का दौरा कर वहां से हिमाचल के लिए लाभदायक निवेश प्राप्त करने में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 85 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश को नियमित रूप से आकर्षक निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार देश में निवेशक मित्र वातावरण को प्रोत्साहित कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अनगिनत अवसर सृजित करने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का स्वच्छ पर्यावरण एवं केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा दी गई विभिन्न रियायतों के कारण यहां विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इस दिशा में समर्पित होकर कार्य करें।

बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न स्तरों पर निवेश बढ़ाने के लिए प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया

कि निवेशकों को हर स्तर पर नियमानुसार सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार हिमाचल की परिस्थितियों के अनुरूप पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की विभिन्न जायज मांगों को चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है। उद्योग मंत्रे ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक संघ से आग्रह किया कि वे इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए बड़ी परियोजनाओं का कार्य करें ताकि सभी के लिए जल की उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने जल को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश के साथ-साथ प्रदेश में युवाओं के कौशल को स्तरोन्नत करने के लिए भी कार्य कर रही है। जहां युवाओं के कौशल स्तरोन्नयन के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है वहीं कौशल बढ़ाने के लिए युवाओं को कौशल विकास भत्ता भी प्रदान किया जा रहा है।

बद्दी - बरोटीवाला - नालागढ़ औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर निवेश एवं क्षेत्र में इस दिशा में अवसर बढ़ाने के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए।

बिक्रम सिंह ने इससे पूर्व सरस्वती विद्यामंदिर बरोटीवाला में बेल का पौधा भी रोपा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण पर बल देती है और श्रावण के पवित्र मास में बेल का पौधा लगाना हम सभी का इस दिशा में एक प्रयास है।

राज्य सरकार द्वारा आगजनी से बचाव के उपाय करने के लिए अधिसूचना जारी

शिमला/शैल। अग्निशमन सेवा विभाग ने प्रदेश में जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पूरे राज्य में आगजनी से बचाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया है। कई राज्यों में आग से बचने के लिए बनाए गए कानूनों का अध्ययन करने और सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात राज्य में आग के प्रकोप के खिलाफ सावधानियां बरतने के लिए भवन परिसरों के मालिकों व उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार जो भवन 15 मीटर की ऊंचाई, 500 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले पंडाल, 12 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होटल, गेस्टहाउस, 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी शिक्षण संस्थान और संस्थागत ईमारतें, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी विधानसभा भवन व व्यापारिक इमारतें, 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली व्यावसायिक इमारतें, 250 मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित औद्योगिक व भण्डारण भवन, 100 वर्ग मीटर अधिक क्षेत्रफल वाली सभी खतरा उत्पन्न करने वाली ईमारत, भूमिगत सरंचनाएं, वाणिज्यिक रसोइयां, झुंगी झोपड़ी क्षेत्र, होस्टल और कोचिंग सेंटर को आरईआरए (रियल इस्टेट रेगुलीटरी एक्ट) के तहत पंजीकृत करना आवश्यक है और इन्हें विशेष रूप से अपने परिसर में आग से बचाव के उपायों को अपनाना होगा।

आग की रोकथाम के उपायों में भवन के लिए पहुंच, प्राथमिक चिकित्सा, निकास के उपाय, अग्निशमन उपकरण, जल भण्डारण का प्रावधान, हाईड्रैंक्स व पम्पिंग, धुआं प्रबन्धन, तथा आपातकाल में बाहर निकलने की योजना आदि शामिल होंगे।

इन उपायों से राज्य में आग की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा तथा करोड़ों रुपये की जान माल के नुकसान से भी बचा जा सकेगा।

इसके अलावा, प्रदेश में फायर नियम को मंजूरी देने और अधिसूचित करने का व्यापक प्रस्ताव भी विचाराधीन है और निकट भविष्य में सरकार द्वारा अधिसूचित करने की संभावना है। इससे विभिन्न प्रकार के व्यावसायों के लिए आग से बचाव के उपायों के मानदण्डों और मानकों को औपचारिक रूप देने में सुविधा होगी और जनता के जीवन और सम्पत्ति को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखा जा सकेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार अग्निशमन विभाग ने राज्य के सभी जिलों में 60 फायर स्टेशन और पोस्टों के मध्य से राज्य में आग से बचाओ अभियान चलाया है। अभी तक सभी सरकारी व गैर सरकारी भवनों में 222 फायर ऑडिट किए गए हैं। आग से बचाव के संबंध में सभी संबंधित कर्मियों को अग्नि सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है।

इस संबंध में हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग की बैवसाईट से अधिसूचना डाऊनलोड की जा सकती है।

जो लोग मिली हुई चीज को छोड़कर उस चीज के पीछे भागते हैं, जिसके मिलने की कोई उम्मीद ही ना हो, ऐसे लोग मिली हुई चीज को भी खो देते हैं। ....चाणक्य

सम्पादकीय

ईवीएम अब मुद्दा क्यों नहीं विपक्ष से एक सवाल

लोकसभा चुनावों में विपक्ष को जिस कदर हार मिली है वह अधिकांश के लिये अप्रत्याशित रही है। क्योंकि 2014 के मुकाबले 2019 में परिस्थितियां भाजपा के लिये बहुत आसान नहीं रह गयी थी। 2014 मे किये गये अधिकांश वायदे सरकार पूरे नहीं कर पायी थी फिर इस बार 2014 के मुकाबले विपक्ष ज्यादा संगठित था। नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक फैसलों का प्रभाव भी जनता पर कोई ज्यादा सकारात्मक नही था। लेकिन यह सब होने के बाद भी विपक्ष बुरी तरह हार गया। इस हार का परिणाम हताशा होगा स्वभाविक है परन्तु यह हताशा इतनी आत्मघाती हो जायेगी कि दलों के दलबदल के बाद भी विपक्षी नेतृत्व अपनी चुप्पी से बाहर नही आ रहा है। अधिकांश गैर एनडीए दल इस दलबदल का शिकार हुए हैं। खास तौर पर वह दल जो चुनावों से पहले पूरी मुखरता और आक्रामकता अपनाये हुए थे। इक्कीस दलों ने ईवीएम पर चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक बड़ा मुद्दा जनता के सामने खड़ा कर दिया था।

इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक का जो आचरण रहा है वह भी देश की जनता के सामने रहा है। आज चुनावों के बाद इसी ईवीएम के मुद्दे पर देश के कुछ उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर और लंबित हैं। इन याचिकाओं में बहुत गंभीरता हैं लेकिन वह राजनीतिक दल जिन्होंने चुनावों से पहले यह मुद्दा उठाया था आज एकदम इस पर खामोश होकर बैठ गये हैं। इनकी इस खामोशी से यह सवाल उठता है कि क्या इनके लिये यह अब कोई मुद्दा नही रह गया है। जबकि शायद आज यह ज्यादा प्रसांगिक हो जाता है। क्योंकि आज चुनाव नही है और इससे सरकार पर कोई असर भी नही पड़ना है लेकिन जब वीवी पैट ईवीएम मशीनों का हिस्सा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही बना है और पांच वीवी पैट की गिनती करने का भी शीर्ष अदालत का ही आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय ने वी वी पैट गिनती की संख्या बढ़ाने से इसलिये इन्कार किया था कि चुनाव परिणामों में छः दिन की देरी हो जायेगी। वी वी पैट की गिनती ईवीएम से पहले करने को नियमों का हवाला देकर मना किया था। लेकिन इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय मूलतः आधारहीन नही कह सका है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक समय 2013 से ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से पूरी तरह इन्कार कर दिया था लेकिन इसके बाद 2017 मे आयी एक अन्य याचिका में गड़बड़ी की आशंका को स्वीकारते हुए इसमें वीवी पैट का प्रावधान कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम मे छेड़छाड़ की संभावनाओं से इन्कार नही किया जा सकता। इस परिदृश्य में यह एकदम प्रसांगिक हो जाता है कि ईवीएम के मुद्दे को नये सिरे की जनता के बीच ले जाया जाये। फिर अभी चुनाव आयोग आठ पोलिंग बूथों पर ईवीएम और वी वी पैट की गिनती में मिस मैच की आई शिकायतों की जांच कर रहा है। इनमें एक पोलिंग बूथ हिमाचल के सिरमौर जिले का भी है। यहां चुनाव आयोग की विशेषज्ञ टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष यह जांच की है। इस जांच से ई वी एम पर उठने वाले सवालों को स्वतः ही प्रमाणिकता मिल जाती है।

जब जनता के सामने चुनाव के प्रसंग से हटकर इस विषय को रखा जायेगा तो जनता का इस पर समर्थन मिलना आसान हो जायेगा। जनता के सामने जब यह रखा जायेगा कि भविष्य में होने वाले चुनाव में ईवीएम के साथ वीवी पैट की गिनती अनिवार्य कर दी जाये तो जनता इस मांग को गलत करार नही दे पायेगी। सत्तापक्ष को भी इसका विरोध करना आसान नही होगा और तब चुनाव आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय को भी इसे मानना पड़ेगा। जब वी वी पैट की गिनती अनिवार्य हो जायेगी तब ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का प्रयोग करने की मांग स्वतः ही खत्म हो जायेगी। इस समय जो विभिन्न उच्च न्यायालयों में ईवीएम को लेकर याचिकाएं लंबित चल रही हैं उनकी शीघ्र सुनवाई और फैसले की मांग करना दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है जिसको उठाकर विपक्ष जनता को यह भरोसा दिला सकता है कि उसे जनसरोकारों की चिन्ता है।

आज पूरा विपक्ष जिस तरह से हताश होकर बैठ गया है उससे जनता में उसकी विश्वसीनता पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं और शायद इसी का परिणाम है कि कमज़ोर बौद्धिकता के लोग दलबदल करने पर आ गये हैं। जबकि इस तरह से विपक्ष का कमजोर होते जाना कालान्तर में लोकतन्त्र के लिये घातक सिद्ध होगा। आज देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। सरकार के आर्थिक फैसलों पर आरबीआई से लेकर सरकार के आर्थिक सलाहकारों के बीच अपने में ही मतभेद उभरने और बाहर आने लग पड़े हैं। सरकार द्वारा विदेशी ब्रॉण्ड जारी करने को लेकर संवद्ध टीम के मतभेद उजागर होने शुरू हो गये हैं। इन आर्थिक और वित्तिय सवालों पर आम आदमी से प्रतिक्रियाओं की उम्मीद करना गलत होगा क्योंकि यह सब उसके बौद्धिक दायरे से बाहर की चीजें हैं। आम आदमी को इसकी कोई जानकारी नही है कि सरकार ने अंबानी जैसे कुछ उद्योगपतियों का 8.5 लाख करोड़ का एनपीए खत्म कर दिया है। इन आर्थिक सवालों पर आम आदमी को जागरूक करना राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है और इसी से वह आज लगभग पलायन करने लग पड़ा है। इसलिये आज यह आवश्यक हो जाता है कि विपक्ष को उसकी जिम्मेदारी से भागने न दिया जाये। क्योंकि जब किसी सरकार का कर्जा और घाटा उसकी राजस्व आय से बढ़ जाता है और खर्च चलाने के लिये विनिवेश के नाम पर संपतियां बेचने की नौबत आ जाती है तो वह देश के लिये सबसे कठिन दौर होता है। आज भारत उसी दौर से गुजर रहा है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आम आदमी को तो यह सब भोगना है जबकि उसे इस सबकी समझ ही नही है। इसलिये विपक्ष से यह आग्रह है कि वह अपनी भूमिका को समझते हुए चुप्पी से बाहर निकल कर आम आदमी में अपना विश्वास कायम करके एक बड़े संघर्ष की तैयारी करें।

तो क्या अफगानिस्तान में भारतीय कूटनीति हार गयी?

''गौतम चौधरी''

विश्व परिदृष्य बड़ी तेजी से बदल रहा है। खास कर अमेरिकी–ईरान गतिरोध के आक्रामक होने से एशिया में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी प्रभुसत्ता और वैश्विक दादागीरी को चीन के द्वारा चुनौती मिलने लगी है। चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और नाटो के समानांतर शंधाई सहयोग संगठन को खड़ा करने में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इधर भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका एवं रूस के बीच पिस रहे अफगानिस्तान में नए प्रकार का खेल प्रारंभ हो गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका बढ़ने लगी है। जो आने वाले समय में भारत के कूटनीतिक हितों के लिए खतरनाक है।

अभी हाल ही में अफगानिस्तान से आयी एक खबर ने हिन्दुस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है। खबर है कि अफगानिस्तान में भारत को नजरअंदाज कर चीन, अमेरिका और पाकिस्तान ने तालिबान के साथ समझौता कर लिया है। इस खबर के बाद यह साबित हो गया है कि इतने दिनों तक जूझने एवं अरबों के निवेश के बाद भी अफगानिस्तान में भारत को कुछ भी नहीं मिला। उलटे भारत को अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान के खतरों का भी अब सामना करना होगा।

यहां यह बता देना जरूरी है कि अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान का जन्मदाता पाकिस्तान और अमेरिका है। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर मोर्चा खोला और अंततोगत्वा क्षद्म रणनीति में वे सफल रहे। सोवियत सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में इस्लामिक चरमपंथ का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया, जो आजतक चल रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में फिलहाल लोकतंत्र है। यहां चुनी हुई सरकार शासन कर रही है लेकिन देश आज भी बेहद कमजोर है। अधिक खर्च और विकट भौगोलिक परिस्थिति के कारण अमेरिका अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस ले जाना चाहता है। अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार, पाकिस्तान संपोषित तालिबान का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती है। अफगानिस्तान में स्थाई रूप से शांति रहे और अफगानिस्तान में फिर से कट्टरवादी शक्तियां सिर ना उठाए इसलिए चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, ईरान और भारत चिंतित दिख रहा है। इधर अफगानिस्तान में अपने निवेश को बचाने और कट्टरपंथी तालिबान की दस्तक से भारत का परेशान होना स्वभाविक है। पाकिस्तान को मौका मिल गया है। चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा पर है इसलिए वह रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और मजबूत है।

अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान की भूमिका को नजअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अब भारत के लिए अफगानिस्तान एक जटिल अखाड़ा बनता जा रहा है। हालांकि चीन और अमेरिका दोनों ने हिन्दुस्तान को आश्वस्त किया है कि अफगानिस्तान वार्ता में भारत को नजरअंदाज नहीं किया है लेकिन पाकिस्तान के वार्ता में आने से भारत की स्थिति यहां स्वतः कमजोर हो गयी है और भारत को इस दिशा में व्यापक कूटनीतिक प्रयास करने की जरूरत महसूस होने लगी है।

वैसे सच पूछिए तो भारत कई मामलों में अपने खुद के जाल में फंसा है। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में अपनी विदेश नीति पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। कई मामलों में पारंपरिक विदेश नीति के बदले मोदी सरकार ने खुद की विदेश नीति अपनाई। अफगानिस्तान में भारतीय कूटनीति की पराजय इसी ''एकपक्षीय विदेश नीति'' का परिणाम है। मोदी सरकार ने प्रथम चरण में अपने आप को अमेरिकी खेमा में दिखाने की पूरी कोशिश की। इजरायल के साथ कई समझौते कर लिए और भारत ने इजरायल के कई नैतिक अनैतिक कृत्यों का समर्थन कर दिया। इस्लामिक विश्व में भारत की इस गैरपारंपरिक कूटनीति का संदेश नकारात्मक गया। इसका फायदा पाकिस्तान ने तसल्ली से उठाया।

यह गैर पारंपरिक कूटनीति अब भारत को महंगी पड़ रही है। इसी चक्कर में भारत अपने पारंपरिक मित्र ईरान के साथ द्वीपक्षीय संबंधों में न्याय नहीं कर सका। रूस के साथ भारत का कूटनीतिक संबंध इन दिनों बेहतर नहीं है। चीन ने बड़ी सुनियोजित तरीके से भारत को दक्षिण एशिया में अकेला कर देने की कोशिश की है, जिस रणनीति में चीन दिन ब दिन सफल होता जा रहा है। भारत अपने पारंपरिक मित्र राष्ट्रों को छोड़ता जा रहा है, जबकि नए राष्ट्रों के साथ संबंधों में अभी विश्वास की बहाली बाकी है। अमेरिका और इजरायल व्यापारिक मनोवृति का देश है। वह अपने व्यापारिक हितों की शर्तों पर भारत का कदापि समर्थन नहीं करेगा। ऐसे में भारत बड़ी तेजी से वैश्विक कूटनीति में अलग–थलग पड़ता जा रहा है। अपने प्रचार और मीडिया प्रबंधन के कारण मोदी सरकार इस बात को भले दबा रही है लेकिन अफगान में तालिबान की बढ़त ने हमारे सरकार की कूटनीतिक हार को सार्वजनिक कर दिया है।

अब मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर से अपने पुराने और पारंपरिक दोस्तों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। इसमें सरकार को कितनी सफलता मिलेगी इसका आकलन करना फिलहाल संभव नहीं है लेकिन दूरदर्शी कूटनीतिक अभाव के कारण भारत को अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ सकती है। पाकिस्तान जिस भौगोलिक स्थिति पर बसा है वह किसी भी प्रभावशाली देश के लिए अपनी अहमियत रखता है। फिर पाकिस्तान में अभी भी अमेरिका के प्रत्यक्ष और परोक्ष कई प्रकार के निवेश हैं। अमेरिका का मित्र राष्ट्र सउदी अरब पाकिस्तान को लगातार आर्थिक संवल प्रदान कर रहा है। इस्लामिक जगत में पाकिस्तानी सेना की धमक है। इस्लामिक देशों के संगठन में पाकिस्तान अहमियत रखता है। साथ ही पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों का आज भी बहुत बड़ा बाजार है। माना कि पाकिस्तान अमेरिका से नए हथियान नहीं खरीद रहा है लेकिन पुराने हथियारों के रखरखाव की जिम्मेवारी भी तो अमेरिका के उपर ही है। यह भी एक बड़ा बाजार है। इसलिए पाकिस्तानी संबंधों को दरकिनार कर अमेरिका भारत की सहायता नहीं कर सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की मांग को मानते हुए कहा कि विगत दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए कहा था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का खंडन किया है लेकिन इससे ट्रंप की मानसिकता और अमेरिकी विदेश नीति का पता चलता है कि वह भारत को कितना अहमियत देता है।

दूसरी ओर भारत में निवेश, व्यापार और अर्थव्यवस्था की स्थिति दिन व दिन बदतर होती जा रहा है। इस विपरीत वैश्विक परिस्थिति के बीच पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए कुछ अच्छे संकेत आए हैं। हालांकि अभी भी भारत–पाक के बीच की बात को लेकर व्यापक गतिरोध बरकरार है लेकिन कई मामलों में पाकिस्तान ने लचीला रवैया अपनाया है। जैसे करतारपुर कॉरिडार पर उसने भारत के कई मांगों को मान लिया है। यही नहीं बिना किसी शर्त पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना हवाई मार्ग खोल दिया है। इसके कारण भारत अब अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया में आसानी से प्रवेश प्राप्त कर पाएगा। विगत दिनों भारत–पाकिस्तान के बीच व्यापक गतिरोध के बाद से यह मार्ग बंद कर दिए गए थे। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि अंदरखाने भारत–पाक के बीच द्वीपक्षीय वार्ता जारी है। अभी हाल ही में लंदन में भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञों की एक बैठक संपन्न हुई है।

अफगानिस्तान में भारत की रणनीति क्या होगी यह देखना अभी बाकी है लेकिन फिलहाल पाकिस्तान यहां मजबूत कूटनीतिक स्थिति में दिख रहा है। यहां जो समर्थन ईरान से भारत को मिल रहा था वह भी अमेरिका के कारण अब धीरे–धीरे कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि भारत के पास अभी भी कई ऐसे हथियार हैं जिसके माध्यम से भारत अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन जारी रख सकता है लेकिन वह लंबे समय तक के लिए संभव नहीं है। अफगानिस्तान में चीन अपनी ताकत बढ़ाने के फिराक में है। अगर चीन की ताकत बढ़ी तो यह हिन्दुस्तान– पाकिस्तान दोनों के लिए खतरनाक होगा। ऐसे में भारत को इस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए जिससे कम से कम अफगानिस्तान में चीन प्रभावी भूमिका में न आए और भारत की अहमियत बरकरार रहे। इसके लिए फिलहाल पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल करना जरूरी होगा।

लोकतंत्र की लिंचिंग मत किजिये....

''पूण्य प्रसून वाजपेयी''

अगर कर्नाटक विधानसभा में सोमवार को भी स्पीकर बहुमत साबित करने की प्रक्रिया टाल देते हैं यानी राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को कुमारस्वामी सरकार अनदेखा कर देती है तो होगा क्या? जाहिर है सामान्य स्थितियां रहती तो स्पीकर के कार्य संविधान के खिलाफ करार दे दिये जाते लेकिन टकराव की बात कर हालात को टाला जा रहा है। लेकिन नया सवाल ये है कि आखिर हफ्ते भर से कौन सी ताकत कुमारस्वामी सरकार को मिल गई है जिसमें उसका बहुमत खिसकने के बाद भी वह सत्ता में हैं। असल में लोकतंत्र का संकट यही है कि राजनीतिक सत्ता ही जब खुद को सबकुछ मानने लगे और संवैधानिक तौर पर स्वयत्त संस्थायें भी जब राजनीतिक सत्ता के लिये काम करती हुई दिखायी देने लगे तो फिर लोकतंत्र की लिंचिंग शुरु हो जाती है। और रोकने वाला कोई नहीं होता। यहां तक की लोकतंत्र की परिभाषा भी बदलने लगती है और ये असर सड़क पर सत्ता की कार्यप्रणली से उभरता है। यानी सडक पर भीडतंत्र को ही अगर न्यायतंत्र की मान्यता मिलने लगे तो हत्यारों को भीड के सामने रखकर राज्य की कानून व्यवस्था नतमस्तक होने लगे तो असर तो लोकतंत्र के मंदिर तक भी पहुंचेगा। तो आईये जरा सिलसिलेवार तरीके से हालात को परखें। कर्नाटक में बागी विधायकों, कांग्रेस और जेडीएस, ने विधायिका के सामने अपने सवाल नहीं उठाये बल्कि न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना देर किये ये निर्देश दे दिया कि बागी विधायकों पर व्हिप लागू नहीं होता। तो झटके में पहला सवाल यही उठा कि, 'क्या सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका के विशेष क्षेत्र में हस्तक्षेप करके अपनी सीमा पार की है।' क्योंकि संविधान जानने वाला हर शख्स जानता है कि ''संविधाान में शक्तियों के विभाजन पर बहुत सावधानी बरती गई है। विधायिका और संसद अपने क्षेत्र में काम करते हैं और न्यायपालिका अपने क्षेत्र में। आमतौर पर दोनों के बीच टकराव नहीं होता। ब्रिटिश संसद के समय से बने कानून के मुताबिक अदालत विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती।'' तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का मतलब क्या होगा जब वह कहता है कि स्पीकर को विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने या न करने या उन्हें अयोग्य करार देने का अधिकार है, लेकिन 15 बागी विधायकों को विधानसभा की प्रक्रिया से अनुपस्थित रहने की स्वतंत्रता दे दी। 'यानी झटके में राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब ही नहीं बचा। सवाल सिर्फ व्हिप भर का नहीं है बलकि राजनीतिक पार्टी के अधिकारों के हनन का भी है।' फिर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजो की बेंच का फैसला ढाई दशक पहले 1994 में पांच न्यायधीशों वाली पीठ के फैसले के भी उलट है क्योकि तब राजनीतिक दलों के विधायको के बागी होने पर ये व्यवस्था करने की बात थी कि विधायक जब जनता के बीच अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ गया, लडा और जीत कर विधायक बन गया तो फिर जनता ने उम्मीदवार के साथ राजनीतिक दल को भी देखा। ऐसे में बागी विधायक कैसे पार्टी नियम 'व्हिप' से अलग हो सकता है। यानी अगर ऐसा होने लगे तो फिर किसी भी राज्य भी बहुमत की सरकार में मंत्री पद ना पाने वाले विधायक या फिर अपने हाईकमान से नाराज विधायक या मंत्री भी झटके में विपक्ष के साथ मिलकर चुनी हुई सत्ता भी गिरा देगें। फिर कर्नाटक में खुले तौर पर जिस तरह विधायकों की खरीद फरोख्त या लाभालाभ देने के हालात है उसमें कोई भी कह सकता है कि जिसकी सत्ता है उसी का संविधान है उसी का लोकतंत्र है, और जब ये सोच सर्वव्यापी हो चली है तो फिर आखरी सवाल यह भी है कि अगर कुमारस्वामी सरकार विधानसभा में बहुमत साबित करने को टालते रहे तो होगा क्या। लोकतंत्र की धज्जियां पहले भी उडी और बाद में भी उड़ेंगी। यानी झटके में ये सवाल उठने लगेगा कि सरकार गिराना अगर सही है तो फिर सरकार बचाना भी सही है फिर चाहे कोई भी हथकंडा अपनाया जाये। फिर ध्यान दिजिये तो विधानसभा में लोकतंत्र की इस लिंचिंग के पीछे सडक पर होने वाली लिंचिंग का असर भी कहीं ना कहीं नजर आयेगा ही। क्योंकि बीते पांच बरस में 104 लिंचिंग की घटनायें देश भर में हुई। 60 से ज्यादा हत्यायें हो गई। दो दिन पहले ही बिहार के छपरा में भी लिंचिंग हुई और लिचिंग से ज्यादा विभत्स स्थिति उत्तरप्रदेश के सोनभद्र में नजर आई। छपरा में तो चोर कहकर तीन लोगों की सरेराह हत्या कर दी गई। लेकिन सोनभद्र में सामूहिक तौर पर नंरसंहार की खूनी होली को अंजाम दिया गया। लेकिन इस कडी में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लिंचिंग करने वाले या हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण खुलेतौर पर दिया गया। यानी हजारीबाग या नवादा में कैबिनट मंत्रियों के लिंचिंग करने वालों की पीठ छोकना भर नहीं है बल्कि 2019 के चुनाव में लिंचिंग के आरोपी चुनावी प्रचार में खुले तौर पर उभरे। जिला स्तर पर कई नेता भी बन गये। यानी 1994 में सुप्रीम कोर्ट जब राजनीतिक दल के साथ विधायक का जुडाव वैचारिक तौर पर देख रही थी और बागी विधायक को स्वतंत्र नहीं मान रही थी। 2019 में आते आते सुप्रीम कोर्ट विधायक को उसकी अपनी पार्टी से ही स्वतंत्र भी मान रही है और खुले तौर लिंचिंग करने वाले भी अपनी वैचारिक समझ को सत्ता के साथ जोड कर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने से भी नहीं हिचक रहे हैं। और राजनीति भी सत्ता के लिये हर उस अपराधी को साथ लेने से हिचक नहीं रहे हैं जो चुनाव जीत सकता है, जीता सकता है, या सत्ता का खेल बिगाड कर विपक्ष को सत्ता में बैठा सकता है। यानी मौजूदा लोकतंत्र का त्रासदीदायक सच यही है कि जनता सिर्फ लोकतंत्र के लिये टूल बना दी गयी है। विधानसभा में जनता ने जिसे हराया लोकतंत्र की लिंचिंग का खेल उसे हारे हुये को मौका देता है कि जीते को खरीदकर खुद सत्ता में बैठ जाओ और सड़क पर लिंचिंग करने वाले को मौका है कि हत्या के बाद वह अपनी धारदार पहचान बनाकर सत्ता में शामिल हो जायें।

गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीब रोगियों का दुःख–दर्द दूर करेगी सहारा योजना

प्रदेश सरकार ने समाज सेवा के अपने दायित्व को निभाते हुए गंभीर बीमारी से पीड़ित समाज के कमजोर वर्गों के मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए सहारा नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की है। इस योजना के तहत रोगी को 2,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। गम्भीर बीमारियां में पार्किन्सन, मलाईन्ड कैंसर, अधरंग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हैमोफिलिया तथा थेलेसेमिया इत्यादि को शामिल किया गया है।

अपनी तरह की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत किडनी की गंभीर बीमारी अथवा व्यक्ति को स्थाई रूप से अक्षम करने वाली अन्य बीमारी से पीड़ित रोगियों को भी कवर किया जाएगा। सहारा योजना का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को लम्बे उपचार के दौरान पेश आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके दुःख–दर्द को कुछ हद तक कम करना है।

सहारा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के रोगी जो गंभीर बीमारी का लम्बे समय से उपचार करवा रहे हैं और जिनकी चार लाख रुपये तक की पारिवारिक वार्षिक आय है, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। बीमारी की पुष्टि चिकित्सा बोर्ड द्वारा अथवा उपचार के ब्यौरे के साथ की जा सकेगी। बीमारी की पुष्टि अक्षमता प्रमाणपत्र से भी की जा सकती है।

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने योजना का ब्यौरा देते हुए कहा कि इस नई योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने इस वर्ष अपने दूसरे बजट को प्रस्तुत करने के दौरान की थी। इस योजना से गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को बड़ी राहत पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में लगभग 6000 रोगियों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा, जिसके लिए इस वर्ष 14.40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी के साथ इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अभियान आरम्भ किया जाएगा। मान्यता–प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को लाभार्थियों को चिन्हित करने और निर्देशित औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा। रोगियों को चिन्हित तथा उनका आवेदन पूर्ण करने के लिए आशा कार्यकर्त्ताओं को 200 रुपये प्रति लाभार्थी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

योजना की अधिसूचना के अनुसार, लाभार्थी अपने आवश्यक दस्तावेज सीधे जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। पूर्ण आवेदन पत्र खण्ड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में भी जमा किए जा सकते हैं, जो सत्यापन तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने की आगामी कार्रवाई के लिए दस्तावेज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय भेजेंगे।

योजना का लाभ उठाने के लिए निर्देशित फार्म सभी संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध करवाए गए हैं तथा प्रदेश में निचले स्तर तक लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक विशेष अभियान आरम्भ किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने पहले से ही हिमकेयर, अटल आर्शीवाद योजना तथा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जैसी विभिन्न लोक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं आरम्भ की है, जो प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने के फलस्वरूप प्रदेश में जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हुआ है।

प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

प्रदेश में समाज के सभी वर्गो विशेषकर कमजोर वर्गो के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को विकास एवं उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं।

कांगड़ा जिला में इस वित्तिय वर्ष में 5628 नए पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया गया है। इस तरह जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या पूर्व में 1,05,963 लाभार्थियों से बढ़कर 1,11,591 हो गई है। जिला कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक पेंशन योजना के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक 1,11,591 पात्र व्यक्तियों को लगभग 70 करोड़ रुपये वितरित किये गये है।

गृह निर्माण अनुदान योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को नया मकान बनाने के लिए मिलने वाली अनुदान राशि 1 लाख 30 हजार रुपये तथा मकान की मरम्मत के लिए 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। जिला में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त पात्र लोगों के उत्थान के लिए कल्याण विभाग के माध्यम से वर्ष 2018 – 19 में 4 करोड़ 45 लाख 40 हजार रूपये व्यय कर 404 पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तिय वर्ष में 4 करोड़ 11 लाख 9 हजार रुपये 316 लाभार्थियो पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2018 – 19 में 1011 दिव्यांग छात्रों को छात्रवृति के रूप में 62 लाख 95 हजार 75 रुपये की राशि वितरित की गई। वर्तमान वित्तिय वर्ष में 20 जुलाई, 2019 तक 19 लाख 8 हजार रुपये 219 छात्रों में वितरित की गई है।

जिला में अनवर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1564 लड़कियों/महिलाओं को सिलाई मशीन की खरीद पर 28 लाख 15 हजार 200 रुपये की राशि 31 मार्च, 2019 तक खर्च की गई है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत 400 पात्र परिवारों को 80 लाख रुपये 31 मार्च, 2019 तक वितरित किये गये हैं।

अपंग विवाह अनुदान योजना के अतर्गत 31 मार्च, 2019 तक 29 पात्र व्यक्तियों को 6 लाख 97 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये गये हैं।

इसी तरह अर्न्तजातीय विवाह योजना में भी 31 मार्च, 2019 तक 52 लाभार्थियों को 25 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज हुए 46 पुलिस केसों में 55 लाख 3 हजार 664 रुपये की राहत राशि 31 मार्च, 2019 तक वितरित की गई।

अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों से संबन्धित अभ्यर्थियों या जिनकी वार्षिक आय दो लाख से कम है, को कम्पयूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कम्पयूटर एप्लीकेशन एवं समवर्गी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों को 1200 रूपये प्रतिमाह प्रशिक्षण शुल्क तथा प्रशिक्षण के दौरान 1000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सफल उम्मीदवार को छ: माह के लिए सरकारी/गैर-सरकारी संस्थानों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए रखा जाता है तथा इस अवधि के दौरान उसे 1500 प्रतिमाह की छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक 417 छात्र व छात्राओं पर 37 लाख 92 हजार 138 रुकी राशि पयें खर्च की गई है।

जिला कल्याण अधिकारी असीम सूद का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। इन योजनाओं की सहायता से न केवल गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, बल्कि उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हुई है।

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति का कहना है प्रदेश सरकार समाज कल्याण के कार्यो को विशेष प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन कांगड़ा में समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सरकार के कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयारत है। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी संभव कदम उठाए गए हैं।

कृषकों की आर्थिकी में सुधार लाने में उत्प्रेरक बनी 'जाईका' परियोजना

हिमाचल में फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरम्भ हि.प्र. फसल विविधिकरण प्रोत्साहन योजना 'जाईका' किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि गतिविधियों में विविधता लाने में वरदान सिद्ध हुई है।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्धन संस्थान तथा भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के प्रभावों पर किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जाईका ने परियोजना क्षेत्र में फसलों की पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने में सकारात्मक प्रभाव डाला है।

जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाईका) द्वारा वित्त पोषित 321 करोड़ रुपये की इस परियोजना को पहले चरण में पांच ज़िलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और ऊना में लागू किया गया।

इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को सब्जी एवं अनाज उगाने और कटाई के बाद की प्रबंधन तकनीक के बारे प्रशिक्षण के साथ-साथ सिंचाई और खेतों तक सड़क सुविधाओं जैसी मूलभूत अधोसंरचना का विकास करना है। हिमाचल प्रदेश कृषि विकास सोसाइटी (एचपीएडीएस) जाईका की कार्यान्वयन एजेंसी है। यह परियोजना किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से बनाई गई है।

प्रधान सचिव (कृषि) ओंकार शर्मा ने जाईका के प्रथम चरण की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जानकारी दी कि वर्ष 2011 से 2018 तक चली इस परियोजना की सफलता को देखते हुए, इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इसके 1104 करोड़ रुपये के दूसरे चरण को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना को अब प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

परियोजना के प्रभावां पर किए गए अध्ययन के अनुसार परियोजना के सफल क्रियान्वयन से पांचों ज़िलों में सुखद परिणाम आए हैं, जिससे हिमाचल में फसल विविधिकरण के परिदृश्य में सुखद बदलाव आए हैं। परियोजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के बाद किसानों ने अनाज से सब्जी उत्पादन की ओर रूख किया है। परियोजना क्षेत्र में तकनीकी सहायता, प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में दिए गए प्रशिक्षण से सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है।

इस अध्ययन के माध्यम से यह जानकारी भी उपलब्ध हुई है कि परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की औसत कृषि आय में लगभग चार गुना की वृद्धि हुई है जो कि परियोजना की सफलता को दर्शाती है। इन उत्साहवर्द्धक परिणामों तथा ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव को देखते हुए जाईका ने प्रदेश के लिए परियोजना के दूसरे चरण को अपनी सहमति जताई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास एवं कृषकों की आय को बढ़ाने तथा मौजूदा कृषि योग्य क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाना आवश्यक है जो कि आत्म-निर्वाह फसलों को उगाने के बजाय पहाड़ी व ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में नकदी फसलों जैसे सब्जियों के उत्पादन जैसे विविध कृषि उत्पादन के प्रयासों से संभव है।

अध्ययन में यह भी तथ्य सामने आए हैं कि रबी के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों के अन्तर्गत क्षेत्र में 232 प्रतिशत की वृद्धि जबकि खरीफ के दौरान लगाई जाने वाली सब्जियों के क्षेत्र के अन्तर्गत 328 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यही नहीं परियोजना के अंतर्गत सिंचाई एवं अन्य प्रयासों के फलस्वरूप खरीफ और रबी के दौरान उगाई जाने वाली सब्जियों की उपज में 108 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो कि एक उपलब्धि है।

563 लोगों के नि:शुल्क उपचार पर 28 लाख से अधिक व्यय

प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वर्ग के गरीब, जरूरतमंद, असहाय व्यक्ति को समाज में मुख्य विकास धारा से जोडना है जिसके लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लोगों के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। योजना के तहत आने वाले लोगों को प्रति वर्ष चयनित अस्पतालों में दाखिल होने पर 5 लाख रूपए तक के निशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुविधा लोगों को फैमिली फलोटर आधार पर प्रदान की जा रही है। योजना के तहत एक सदस्य या परिवार के सभी सदस्य योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक परिवार के लिए एक वर्ष के दौरान बीमा की राशि 5 लाख रूपए होगी तथा इसके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रत्येक आयु वर्ग के लोग योजना के तहत शामिल हो सकते हैं।

जिला हमीरपुर में इस योजना के अंतर्गत अब तक 47 हजार 56 लोगों के कार्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से बनाए जा चुके हैं। विभाग द्वारा प्रचार के विभिन्न माध्यमों तथा जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा सके। योजना के तहत जिला हमीरपुर में 563 लोगों के विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में अंतरंग रोगी के रूप में नि:शुल्क उपचार पर 28 लाख, 37 हजार, 900 रूपए की राशि व्यय की जा चुकी है।

योजना की प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। अस्पताल में भर्ती होने के समय लाभार्थी को अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड तथा पंजीकृत मोबाईल नम्बर सम्बंधित संस्थान के स्टाफ को उपलब्ध करवाना होगा। साफ्टवेयर के माध्यम से पुष्टि के उपरांत उस व्यक्ति को ई-कार्ड प्रदान किया जाएगा। पैकेज का चयन करने के बाद तथा जरूरी दस्तावेजों को जमा करने के बाद लाभार्थी को अस्पताल से निशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। अस्पताल से छुट्टी के समय लाभार्थी को अपनी डिस्चार्ज समरी के दस्तावेज प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र को दिखाने होंगे। इस प्रकार योजना के तहत क्लेम की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।

योजना का मुख्य उद्देश्य हर वर्ग के पात्र लोगों को बेहतर तथा नि:शुल्क चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत जिला हमीरपुर में 2 लाख 50 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत विभिन्न प्रकार के रोगों से सम्बंधित 1800 उपचार प्रक्रियाएं कवर करने के अतिरिक्त डे-केयर सर्जरीज की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा व्यक्ति को पंजीकृत अस्पताल में दाखिल होने पर ही मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। योजना के अतंर्गत हिमाचल प्रदेश में 175 अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं जिनमें 151 अस्पताल सरकारी तथा 24 निजी अस्पताल शामिल हैं। लाभार्थी इस योजना का लाभ पूरे देश में किसी भी पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थान से उठा सकते हैं।

सरकारी व निजी क्षेत्र में युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाना सरकार की प्रतिबद्धता

शिमला/शैल। उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार का प्रयास है कि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 48,520 युवाओं का पंजीकरण कर उन्हें 56.78 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए। इस योजना के अन्तर्गत उन सभी युवाओं का पंजीकरण किया जा रहा है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला रोजगार कार्यालयों को म डल केरियर सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है ताकि युवाओं को नि:शुल्क करियर काऊंसलिंग प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत अभी तक शिमला में चार हजार युवाओं को करियर काऊंसलिंग की सुविधा दी जा चुकी है तथा 300 युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि एशियन डवल्पमेंट बैंक द्वारा राज्य में चार म डल करियर सेंटर्स खोलने के लिए 10.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में गत वर्ष सात रोजगार मेले आयोजित किए गए जिनमें 9600 युवाओं को निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आयोजित होने वाले रोजगार मेलों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसके तहत सिरमौर जिला में 28 जुलाई, चम्बा में 27 अगस्त, हमीरपुर में 20 सितम्बर, कांगड़ा में 11 अक्तूबर, सोलन में 18 नवम्बर, बिलासपुर में 20 दिसम्बर, शिमला व ऊना में 21 जनवरी, 2020 व कुल्लू में 14 फरवरी को रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना के अंतर्गत अभी तक 21,816 असंगठित क्षेत्र के लाभार्थियों व कामगारों को पंजीकृत किया जा चुका है।

फसल सुरक्षा के लिए सरकार किसानों को किफायती दाम पर सामग्री देगी:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। मेसर्ज ऋषि एफआईबीसी साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के समक्ष ओला

अवरोधक नेट, फ्लेक्सी टैंक और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों के बारे में प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री ने प्रस्तुति में गहरी रुचि दिखाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों को आर्थिक रूप से व्यवसायिक, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सुरक्षात्मक सामग्री जैसे- ओला अवरोधक नेट, शैड नेट और पाले से सुरक्षा प्रदान करने वाली सामग्री प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इनसे सेब, गुठलीदार फलों, फूलों और मटर आदि फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में सहायता मिलेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि फ्लेक्सी टैंक विशेष रूप से वर्षा जल संग्रहण में उपयोग साबित हो सकते हैं। साथ ही जल अभाव वाले क्षेत्रों को पानी पहुंचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

कंपनी के प्रतिनिधि जोफी थोमस जोसेफ ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनकी कंपनी उच्च शक्ति एचडीपीई टेप्स और पर्यावरण मित्र सामग्री का उपयोग कर रही है, जिसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों की रक्षा के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

बागवानी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी एवं आर.डी. धीमान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सोलन जिला के सनवारा में स्थापित होगा कौशल विकास शैक्षणिक संस्थान

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने मैसर्ज हिमाचल शिक्षा विकास धर्मार्थ संस्था से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया, जिसके अनुसार सोलन जिला की कसौली तहसील के गांव सनवारा में स्थानीय लोगों के लिए एक डे स्कूल और कौशल विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। इस संस्थान से सोलन जिला के विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।

समझौता ज्ञापन पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा और मैसर्ज हिमाचल शिक्षा विकास धर्मार्थ संस्था की ओर से अध्यक्ष सुखजिन्दर जगपाल ने हस्ताक्षर किए।

इस संस्थान का निर्माण 19 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा तथा इस संस्थान से लगभग 65 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

स्क्रब टाइफस की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाये :निपुन जिंदल

शिमला/शैल। विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश के मिशन निदेशक निपुन जिंदल ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत की तथा उनसे बरसात में होने वाली बीमारियों जैसे स्क्रब टाइफस, डेंगू, हेपेटाइटिस इत्यादि को लेकर तैयारी और इसके नियन्त्रण के उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं अजय कुमार गुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि सभी जिलों में स्क्रब टाइफस के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा इसके इलाज के लिए जरूरी दवाइयां राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है।

निपुन जिंदल ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को स्क्रब टाइफस की बीमारी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा ताकि सभी प्रदेशवासियों में हेपेटाइटिस की रोकथाम बारे जागरूकता लाई जा सके।

उन्होने कहा कि हेपेटाइटिस सी की मुफ्त जांच व ईलाज, प्रथम चरण में आई.जी.एम.सी. शिमला व डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान टांडा, कांगड़ा से शुरू किया जा रहा है। द्वितीय चरण में यह सुविधा सभी जिला अस्पतालों में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

ट्रिपल तलक आस्था नही, अधिकारों की लड़ाई है

-डॉ. नीलम महेंद्र-

ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने का बिल लोकसभा से तीसरी बार पारित होने के बाद एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही इसे असंवैधानिक करार दे दिया था लेकिन इसे एक कानून का रूप लेने के लिए अभी और कितना इंतजार करना होगा यह तो समय ही बताएगा। क्योंकि बीजेपी सरकार भले ही अकेले अपने दम पर इस बिल को लोकसभा में 82 के मुकाबले 303 वोटों से पास कराने में आसानी से सफल हो गई हो लेकिन इस बिल के प्रति विपक्षी दलों के रवैये को देखते हुए इसे राज्यसभा से पास कराना ही उसके लिए असली चुनौती है। यह वाकई में समझ से परे है कि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष अपनी गलतियों से कुछ भी सीखने को तैयार क्यों नहीं है। अपनी वोटबैंक की राजनीति की एकतरफा सोच में विपक्षी दल इतने अंधे हो गए हैं कि यह भी नहीं देख पा रहे कि उनके इस रवैये से उनका दोहरा आचरण ही देश के सामने आ रहा है। क्योंकि जो विपक्षी दल राम मंदिर और सबरीमाला जैसे मुद्दों पर यह कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उसके फैसले को स्वीकार करने की बातें करते हैं वो ट्रिपल तलाक पर उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध खड़े हो कर उसे चुनौती दे रहे हैं।

दरअसल ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा जो एक स्त्री के जीवन की नींव को पल भर में हिला दे, उसकी हंसती खेलती गृहस्थी को पल भर में उजाड़ दे उसे संभलने का एक भी मौका दिए बिना उसके सपनों को क्षण भर में रौंद दे, ऐसे मुद्दे पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि न तो यह कोई मजहबी चश्मे से देखने वाला मुद्दा है और ना ही राजनैतिक नफा नुकसान की नजर से। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज इस मुद्दे पर विपक्ष ओछी राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। कारण, इस बिल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिल में 'तलाक' को नहीं केवल तलाक के एक अमानवीय तरीके, 'ट्रिपल तलाक' को ही कानून के दायरे में लाया जा रहा है। जाहिर है इससे पुरुषों का तलाक देने का अधिकार खत्म नहीं हो रहा बल्कि समुदाय विशेष की स्त्रियों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए इसे 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक' नाम दिया गया। इतना ही नहीं, इस्लाम में 9 तरीकों से तलाक दिया जा सकता है। तो अगर उसमें से एक तरीका कम कर भी दिया जाए तो तलाक देने के आठ अन्य तरीके फिर भी शेष हैं, तो इसका इतना विरोध क्यों? खास तौर पर तब जब कुरान में 'तलाक ए बिद्दत' यानी तीन तलाक का स्पष्ट संहिताकरण नहीं किया गया हो बल्कि उलेमाओं द्वारा इसकी मनमाफिक व्याख्या की जाती रही हो। दरअसल मुल्ला मौलवियों की मिली भगत से ट्रिपल तलाक और फिर उसके बाद हलाला जैसी कुप्रथाओं ने समय के साथ एक ईश्वरीय रूप ले लिया और पाक कुरान के प्रति आस्था के नाम पर मजहबी भय का माहौल बन गया जिससे अज्ञानतावश लोग इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने फैसले में न्यायालय ने भी यह स्पष्ट कहा है कि 'तलाक-ए- बिद्दत' इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है इसलिए इसे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सरंक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। इसके साथ ही न्यायालय ने शरीयत कानून 1937 की धारा 2 में दी गई एक बार में तीन तलाक की मान्यता को भी रद्द कर दिया। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का भी कहना है कि ट्रिपल तलाक का किसी मजहब या कुरान से कोई वास्ता नहीं है। इसके बावजूद कुछ राजनैतिक दलों द्वारा मजहबी आस्था के नाम पर तीन तलाक का विरोध साबित करता है कि यह वोटबैंक की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि यह आस्था नहीं अधिकारों का मामला है।

क्योंकि निकाह इस्लाम में दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर है लेकिन जब इसमें स्त्री और पुरूष दोनों की रजामंदी जरूरी होती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग होने का फैसला एक अकेला कैसे ले सकता है? जब यह कॉन्ट्रैक्ट यानी निकाह अकेले में नहीं किया जा सकता, दो गवाह और एक वकील की मौजूदगी जरूरी होती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट का अंत यानी तलाक अकेले में (कभी कभी तो पत्नी को भी नहीं पता होता) या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर बिना गवाह और वकील के कैसे जायज हो सकता है? और जो मजहब के नाम पर इसे जायज ठहरा भी रहे हैं क्या वो यह बताने का कष्ट करेंगे कि दुनिया का कौन सा मजहब आस्था के नाम पर किसी मनुष्य तो छोड़िए किसी अन्य जीव के प्रति असंवेदनशील होने की सीख देता है? वैसे भी दुनिया के 20 इस्लामिक मुल्कों में ट्रिपल तलाक पूर्णत: प्रतिबंधित है। लेकिन ओवैसी जी का कहना है कि हमें इस्लामिक मुल्कों से मत मिलाइए नहीं तो कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा। तो अगर वे वाकई में कट्टरपंथ के खिलाफ हैं तो उन्हें भारत के मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ को त्याग कर पूर्ण रूप से भारत के संविधान को ही मानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे भारत में कट्टरपंथ की जड़ ही खत्म हो जाएगी। सच तो यह है कि ये राजनैतिक दल अगर स्वार्थ नहीं देश हित की राजनीति कर रहे होते तो जो लड़ाई 1978 में शाहबानों ने शुरू की थी वो 2019 तक जारी नहीं रहती। रही बात इसे एक क्रिमिनल ऑफ्फेन्स यानी आपराध की श्रेणी में लाने की, तो जनाब,

कत्ल केवल वो नहीं होता जो खंजर से किया जाए और जख्म केवल वो नहीं होते जो जिस्म के लहू को बहाए, कातिल वो भी होता है जो लफ्जों के तीर चलाए और जख्म वो भी होते हैं जो रूह का नासूर बन जाए।

जो तीन शब्द एक हंसती खेलती ख्वातीन को पलभर में एक जिंदा लाश में तब्दील कर दें उनका इस्तेमाल करने वाला शख्स यकीनन सजा का हकदार होना चाहिए।

राज्य में जल परिवहन सेवा शुरू करेगी सरकार:गोविन्द सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में जल्द ही झीलों के माध्यम से जल परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा और पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। जल परिवहन सेवा शुरू होने से घंटों का सफर मिनटों में हो सकेगा, इससे लोगों के पैसे की भी बचत होगी।

गोविंद सिंह ठाकुर ने एनटीपीसी की जल परिवहन विशेषज्ञों की टीम और परिवहन आयुक्त कैप्टन जे.एम. पठानिया के साथ तत्तापानी से कोलडैम तक जल परिवहन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वे किया। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में तत्तापानी से कोलडैम तक के क्षेत्र को पर्यटन गतिविधियों के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है।

उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर पर्यटन विकास पर विशेष बल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की विकासात्मक सोच के अनुरूप ही जलमार्गों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। जलमार्गों के विकास से पर्यटकों के लिए अनेक मनोरंजक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि लोग नौका विहार का आनंद ले सकेंगे। झीलों के सौंदर्यकरण के अलावा पर्यटकों को अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल विकास को महत्व देते हुए नदियों-झीलों को प्रदूषणमुक्त रखने के लिए भी व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल परिवहन शुरू होने से जल के प्राकृतिक तंत्र और जलीय जीवों को कोई संकट न हो इस का ध्यान रखा जाएगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित

धर्मशाला/शैल। ज़िला कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कम्प्यूटर एपलिकेशन व समवर्गी क्रिया-कलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, विधवा, एकल नारी व विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों के लिए पीजीडीसीए और डीसीए/डीटीपी के एक-एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार जिनकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सदस्य हों या जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000/-रुपए से कम हो के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पीजीडीसीए के स्नातक तथा डीसीए/डीटीपी प्रशिक्षण के लिए जमा दो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। यह प्रशिक्षण एक नवम्बर, 2019 से आरंभ होंगे।

उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज पर अपना आवेदन संबंधित ज़िला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में विभिन्न दस्तावेजों सहित जिसमें दसवीं, दस जमा दो व स्नातक कक्षा के प्रमाण-पत्र, जाति, हिमाचली प्रमाण-पत्र, संबंधित पंचायत सचिव से ज़ारी बी0पी0एल0 जो छ: माह के भीतर ज़ारी किया हो, का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उम्मीदवार के बैंक खाता की प्रति तथा यदि आवेदक बीपीएल परिवार में चयनित नहीं है, तो वह अपना पमाण-पत्र जो नायब तहसीलदार से कम रैंक के अधिकारी द्वारा ज़ारी न किया गया है, की सत्यापित प्रतियां को 20 अगस्त, 2019 तक जमा करवा सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

shailsamachar.co.in

क्या GeM के जवाब के बाद निदेशक के खिलाफ कारवाई की जा सकेगी

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग में पिछले दिनों कुछ खरीदारीयों को लेकर सवाल उठे थे। इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा बायोमिट्रिक मशीनों की खरीद पर और आयुर्वेद में कुछ उपकरणों की खरीद में घपला होने का आरोप लगा था। आरोप था कि स्वास्थ्य विभाग ने 15000 की बायोमिट्रिक मशीन 42000 में और आयुर्वेद ने 1555 का उपकरण 4200 में खरीदा है। इन आरोपों के बाद आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक को जांच का जिम्मा दिया गया। इस जांच रिपोर्ट के बाद आयुर्वेद विभाग की परचेज़ कमेटी के तीनों सदस्यों को निलंबित कर दिया गया और निदेशक को बदल दिया गया। निदेशक आई ए एस अधिकारी थे इसलिये उनके खिलाफ कारवाई के लिये कार्मिक विभाग को अधिकृत कर दिया गया। कार्मिक विभाग अब निदेशक के खिलाफ कारवाई की तैयारी में हैं। स्वास्थ्य विभाग में बायोमिट्रिक मशीन खरीद प्रकरण की जांच विशेष सचिव को दी गयी। अब विशेष सचिव की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सी एम ओ कांगड़ा जो अब सेवा निवृत हो चुके हैं को चार्जशीट किया जा रहा है। स्मरणीय है कि इन दोनों विभागों के मंत्री एक ही हैं।

अब जब सरकार दोनों विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने जा रही है तब इस पूरे खरीद प्रकरण और सरकार की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के सी एम ओ ने यह खरीद सीधे अपने स्तर पर न करके हैण्डीक्राफ्ट हैण्डलूम कारपोरेशन के माध्यम से की है क्योंकि विभाग ने इस कारपोरेशन को अपनी खरीद ऐजैन्सी नामज़द किया हुआ है। प्रदेश के करीब हर सी एम ओ ने इस कारपोरेशन के माध्यम से खरीद की हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सरकार के और भी कई विभागों ने इस कारपोरेशन के माध्यम से खरीद की हुई है और आज भी कर रहे हैं। जबकि सरकार ने जनवरी 2017 में ही इस कारपोरेशन के माध्यम से की जा रही खरीद का कड़ा संज्ञान लेते हुए इस प्रक्रिया को बन्द करने के निर्देश दे रखे हैं। लेकिन इन निर्देशों पर आज तक शायद अमल नही हुआ है। ऐसे में यदि बायोमिट्रिक मशीने खरीदने मे कोई घोटाला हुआ है तो उसमें सबसे पहले इस कारपोरेशन की संलिप्तता होना आवश्यक है और सी एम ओ के खिलाफ कारवाई के साथ ही कारपोरेशन के खिलाफ कारवाई पहले बनती है। कारपोरेशन के बिना सी एम ओ के खिलाफ कारवाई कानून की नज़र में टिक पाना संभव नही होगा। अब सरकार का जनवरी 2017 का फैसला और इस कारपोरेशन के माध्यम से की जा रही खरीद सबकुछ मुख्यमन्त्री के संज्ञान में भी आ चुका है और मुख्यमन्त्री ने इस सबकी जांच करने के निर्देश भी कर दिये हैं। फिर स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि हैण्डीक्राफ्ट, हैण्डलूम कारपोरेशन ने प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ी कर रखी है। इस रिपोर्ट के बाद सी एम ओ के खिलाफ कारवाई करना अपने में ही कठिन हो जाता है।

इसी तरह जहां स्वास्थ्य विभाग ने इस कारपोरेशन के माध्यम से खरीद की है वहीं पर आयुर्वेद विभाग ने भारत सरकार द्वारा लांच किये गये GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद की है। भारत सरकार ने यह पोर्टल 2017 में तैयार किया और प्रदेश सरकार ने 26 – 12 – 2017 को इसके साथ एमओयू साईन किया। एमओयू होने के बाद सारे प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करके भविष्य में खरीद इस पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य करार दिया। सरकार के इन निर्देशों की अनुपालना करते हुए इस पोर्टल के माध्यम से यह खरीद की गयी। GeM के माध्यम से खरीद करते हुए यह GeM की ओर से दावा है कि हर चीज पर एमआरपी से कम से कम 10% डिस्काऊंट खरीदने वाले को मिलेगा। ऐसे में जब आयुर्वेद में 1599 का उपकरण 4200 में खरीदने का आरोप सामने आया तब विभाग ने GeM से इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। सूत्रों के मुताबिक GeM की ओर से विभाग को भेजे गये जवाब में स्पष्ट किया गया है कि जो उपकरण 1599 का 4200 में खरीदने का आरोप है वह पूरी तरह गलत है। क्योंकि विभाग को जो उपकरण 4200 में दिया गया है उसका एमआरपी 5500 रूपये है। और इसमें करीब 24% का डिस्काऊंट विभाग को दिया गया है। GeM के इस जवाब के बाद यह आरोप स्वत: ही समाप्त हो जाता है कि 1599 का उपकरण 4200 में खरीदा गया बल्कि सही स्थिति यह सामने आयी कि 5500 का उपकरण 4200 में खरीदा गया।

इस परिदृश्य में विभाग के अधिकारियों पर अधिक दरों पर सामान खरीदने का आरोप अपने में ही खारिज हो जाता है और इस आरोप के आधार पर निदेशक के खिलाफ कारवाई करना तथा पहले निलंबित किये अधिकारियों का निलंबन तुरन्त प्रभाव से रद्द न करना एक नाजायज़ कारवाई हो जायेगा। वैसे सुत्रों के मुताबिक एक बड़ा वर्ग हैण्डीक्राफ्ट, हैण्डलूम कारपोरेशन के खिलाफ मुख्यमन्त्री द्वारा आदेशित कारवाई को टालना चाहता है क्योंकि इसमें कई चेहरों के बेनकाब होने की संभावना है क्योंकि चर्चाओं के मुताबिक इस कारपोरेशन के माध्यम से की जा रही खरीद में करोड़ों का घपला हो रहा है और इसका प्रमाण विशेष सचिव की रिपोर्ट से भी मिल जाता है। शायद विशेष सचिव की रिपोर्ट को मुख्यमन्त्री के संज्ञान मे न लाने के प्रयास शुरू हो गये हैं।

उपयोग को तरसता दस करोड़ के कर्ज से रिपेयर हुआ टाऊन हॉल

टाऊन हॉल की दीवारों पर उग आया घास चर्चो की रिपेयर के 24 करोड़ कहां गये

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने 2014 में एशियन विकास बैंक से 256.99 करोड़ का कर्ज लेकर प्रदेश में हैरिटेज पर्यटन के लिये आधारभूत ढांचा खड़ा करने का फैसला लिया था। इस पैसे से बिलासपुर के मार्कण्डेय और श्री नयनादेवी, ऊना में चिन्तपुरनी तथा हरोली कांगड़ा में पौंग डैम, रनसेर कारू टापू, नगरोटा सूरियां, घमेटा ब्रजेश्वरी, चामुण्डा, ज्वाली जी, धर्मशाला – मकलोड़गंज, मसरूर और नगरोटा बंगवां, कुल्लु में मनाली के आर्ट एण्ड क्राफ्ट केन्द्र बड़ाग्रां, चम्बा में हैरिटेज सर्किट मण्डी के ऐतिहासिक भवन और शिमला में नालदेहरा का ईको पार्क, रामपुर बुशैहर तथा आसपास के मन्दिर तथा

शिमला शहर में विभिन्न कार्य होने थे। यह कार्य अप्रैल 2014 में शुरू हुए थे और 2017 में पूरे होने थे। यह काम हैरिटेज के नाम पर होने थे इसलिये इनकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को सौंपी गयी थी और इसके लिये वाकायदा अलग से प्रौजेक्ट डायरैक्टर लगाया गया था। इसके लिये आठ कन्सलटैन्ट भी लगाये गये थे जिन्हें एक वर्ष में ही 4,29,21,353 रूपये फीस दी गयी है।

शिमला में जो काम इसके तहत होने थे उनमें से एक काम शहर के दोनो चर्चो की रिपेयर का था और इसके लिये 17.50 करोड़ खर्च किये जाने थे। रिज स्थित चर्च की रिपेयर के लिये 10 – 9 – 2014 को अनुबन्ध भी साईन हो गया था और इसके मुताबिक यह काम दो वर्षो में पूरा होना था। इसके लिये चर्च कमेटी के साथ भी वाकायदा अनुबन्ध हुआ था। यह काम सितम्बर 2016 में पूरा होना था। लेकिन आजतक दोनो चर्चो की रिपेयर के नाम पर एक पैसे का भी काम नहीं हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठने स्वभाविक हैं कि इस रिपेयर के लिये रखा गया 17.50 करोड़ रूपया कहां गया? क्या इस पैसे को किसी और काम पर लगा दिया गया है? क्या इस पैसे को किसी दूसरे काम पर खर्च करने के लिये एशियन विकास बैंक से अनुमति ली गयी है? विभाग में इन सवालों पर कोई भी जवाब देने के लिये तैयार नहीं है।

इसी के साथ दूसरा काम था टाऊन हाल की रिपेयर का। और इसके लिये 8.02 करोड़ रखे गये थे। इसके लिये एक अभी राम इन्फ्रा प्रा.लि के साथ अनुबन्ध किया गया था। इस कंपनी ने टाऊनहाल की रिपेयर के लिये वर्मा ट्रेडिंग से 13,74,929 रूपये की लकड़ी खरीदी थी। टाऊन हाल में ज्यादा काम लकडी का ही था। इसलिये यह सवाल उठा था कि जब लकड़ी ही चौदह लाख से कम की लगी है तो रिपेयर पर आठ करोड़ कैसे। वैसे सूत्रों के मुताबिक शायद यह रकम दस करोड़ हो गयी है। शिमला में हुए कार्यो का मूल प्रारूप नगर निगम ने तैयार किया था और इसे निगम के हाऊस से ही अनुमोदित करवाया गया था। इसलिये जब कार्य नगर निगम की बजाये पर्यटन विभाग को सौंपे गये थे तब इनकी गुणवत्ता को लेकर निगम के तत्कालीन मेयर संजय चौहान ने एशियन विकास बैंक के मिशन डायरैक्टर से भी शिकायत की थी।

आज करीब दस करोड़ के कर्ज से रिपेयर हुआ टाऊन हॉल किसकी संपत्ति है इसमें सरकार का कौन सा कार्यालय काम करेगा यह फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि मामला प्रदेश उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा है और अभी तक सरकार और उच्च न्यायालय इस पर कोई फैसला नही ले पाये हैं। पिछले दो वर्षो से यह भवन बन्द चला आ रहा है। बन्द रहने के कारण इसकी दीवारों पर घास तक उग आया है रिपेयर की गुणवत्ता पर उठे सवालों की जांच प्रधान सचिव सतर्कता कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी यह सोचने को विवश है कि जब एक भवन के उपयोग का फैसला भी उच्च न्यायालय करेगा तो सरकार स्वयं क्या काम करेगी। जबकि प्रदेश उच्च न्यायालय धरोहर गांव गरली – प्रागपुर को लेकर आये एक ऐसे ही मामले में स्पष्ट कह चुका है कि किसी भवन का क्या उपयोग किया जाना चाहिये यह फैसला लेना अदालत का नहीं सरकार का काम है।